

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/ / 1440

दिनांक :- 05/06/2018

कार्यालय आदेश : 98/2018-19

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु मनोनीत किया गया था। किन्तु उनके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखने के अनुरोध के आधार पर उन्हें उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आगे आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

क्र.सं. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम [लिंग नंबर], मेरिट क्रमांक/वर्ष प्रशिक्षण के आदेश सं. तिथि व क्र.सं. सहित (2)	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम (3)	प्रशिक्षण से मुक्त रखने का कारण (4)
1	शशी अग्रवाल [12676], 2320/2013 06/2018-19, 03/04/2018, 71	हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017	निजी
2	जशोदा जीनगर [10254], 3408/2013 319/2017-18, 01/02/2018, 29	हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानी रोड, उदयपुर-313001	निजी


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/ / 1440

दिनांक :- 05/06/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक / सहायक निदेशक हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर/ उदयपुर/ बीकानेर/ जयपुर/ कोटा।
4. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष.....
5. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार.....
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)